2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	महेश गहलोत् बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 15/2022	

15-02-2022

अपीलार्थी महेश गहलोत् पुत्र स्व. प्रेमसिंह गहलोत, पता गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.02.2022 में उसके द्वारा (1) प्रतिवेदन पद संख्या 7429 दिनांक 20.07.2021 अन्तर्गत जनहित याचिका संख्या 10261/2019 आदेश 07.04.21 के अनुसरण में विभाग द्वारा आज व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 150 दिनांक 07.02.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 113 दिनांक 20.01.2021 द्वारा सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में आगे यह भी बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से धारा 5(5) के तहत उन्हें लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित है तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्टर कार्यालय को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए इन्हें निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावें, अथवा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:14:18 IST
Reason: SelfAttested